राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बंशीधर बनाम राधेश्याम 536/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/06/2026 को पेश हो।	
01/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 01/07/2024 पारित करते हुये तहसीलदार बस्सी को विवादग्रस्त भूमि के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में यथासंभव कब्जे काश्तानुसार, बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स व नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 1777, 1778, 1781, 1784, 1792 वाके ग्राम बस्सी हाल जिला जयपुर ग्रामीण के मौके पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान करते हुये पत्रावली ईन्तजार विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 01/08/2024 नियत की गयी। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री रमेशचन्द शर्मा ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश किया, जिस पर वादी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/04/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/04/2025 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। कानूनन पक्षकार की समुचित अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	बंशीधर बनाम राधेश्याम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	536/2025	

अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त कर उभयपक्षों की सुनवाई उपरान्त विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22/06/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण करते हुये विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे |तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |